# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 480/2022 (2022/822)

1. राजेशकुमार उर्फ राजु लाल पिता शम्भुलाल जाट नि.चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थी

बनाम

1. रतन लाल पुत्र शम्भुलाल जाट नि.चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
2. लक्ष्मण लाल पिता शम्भुलाल जाट नि.चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
3. सोसर बाई पत्नी शम्भुलाल जाट नि.चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

—विपक्षीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : श्री रमेशचन्द्र दशोरा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री दर्शन चतुर्वेदी अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 05/05/26

प्रार्थना पत्र का सक्षेंप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध विपक्षीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम धनेत खुर्द पटवार हल्का कश्मोर तहसील व जिला चित्तौडगढ मे प्रार्थी का मालिकाना व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है जिसका नया खाता संख्या 130 मे वर्णित आराजीयात 133, 171, 177, 178, 400/49, 49, 50 कुल किता 07 कुल रकबा 3.25 हे. स्थित है जो प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के शामलाती खातेदारी मे 1/4 – 1/4 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण शामलाती है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम त्रटिवश राजेश कुमार के बजाय राजुलाल पिता शम्भुलाल अंकित है। प्रार्थी की धनेत खुर्द पटवार हल्का कश्मोर के खाता संख्या 154 मे वर्णित आराजीयात जिसमे प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र शम्भुलाल अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड , पैन कार्ड, राशन कार्ड , शैक्षणिक

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के प्रमाण पत्र व अंक तालिका , मुल निवास , निर्वाचन आयोग द्वा जारी न पत्र , जाति प्रमाण पत्र मे तथा अन्य सभी दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम शि कुमार अंकित है। बाल्यावस्था मे प्रार्थी को राजेश कुमार मुल नाम के बजाय र पर राजुलाल भी कहकर पुकारते थे जिससे बाल्यावस्था मे पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण के जरिये प्रार्थना पत्र मे वर्णित भुमि मे प्रार्थी का नाम राजेश कुमार के बजाय राजुलाल अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी का अन्य समस्त दस्तोवजा मे राजेश कुमार नाम अंकित है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड मे त्रुटि मे सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2022 को ऋण प्राप्ति हेतु बैंक से सम्पर्क कर केसीसी प्राप्त करने का प्रयास किया जिस पर उक्त खाते मे नाम की त्रुटि की जानकारी हुई । अन्त मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धनेत खुर्द पटवार हल्का कश्मोर तहसील व जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 130 मे वर्णित आराजीयात 133, 171, 177, 178, 400/49, 49, 50 कुल किता 07 कुल रकबा 3.25 हे. में अंकित प्रार्थी का नाम राजुलाल पिता शम्भुलाल के बजाय राजेश कुमार पुत्र शम्भुलाल दर्ज कराये जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता दर्शन चतुर्वेदी ने अधिकार पत्र पेश कर सहमति का जवाब देते हुए प्रार्थी का नाम राजुलाल के बजाए राजेश कुमार पिता शम्भुलाल दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बहस की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी का नाम वक्त नामान्तकरण सहवन से राजुलाल दर्ज हो गया है उक्त त्रुटि को दुरस्त कर प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पिता शम्भुलाल दर्ज किए जाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनो का समर्थन करते हुए प्रार्थी का नाम राजेश कुमार करने मे कोई आपत्ति नही होना प्रकट किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया । प्रार्थी प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट का प्रस्तुत कर वक्त नामान्तकरण प्रार्थी के नाम मे हुई त्रुटि को दुरस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी

जिला चित्तौडगढ़

(... देवल)
... कलक्टर एवं
... अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कथनो के समर्थन मे स्वंय का ड्राईविंग लाईसेन्स , आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड , मूल निवास प्रमाण पत्र , माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 वी की अंकतालिका की फोटो प्रतियाँ पेश की है। इसके साथ ही विपक्षीगण की ओर से सहमति का जवाब पेश कर प्रार्थी का नाम राजुलाल के बजाए राजेश कुमार पिता शम्भुलाल दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति प्रकट नही होना जाहिर किया है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का नाम राजुलाल के बजाए राजेश कुमार पिता शम्भुलाल किया जाना उचित व स्पष्ट प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित पाया जाने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अत : प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धनेत खुर्द पटवार हल्का कश्मोर तहसील व जिला चित्तौडगढ के खाता संख्या 130 मे वर्णित आराजीयात 133, 171, 177, 178, 400/49, 49, 50 कुल किता 07 कुल रकबा 3.25 हे. में अंकित प्रार्थी का नाम राजुलाल पिता शम्भुलाल के बजाय <u>राजेश कुमार पुत्र शम्भुलाल</u> दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार चित्तौडगढ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद कर त्रुटि को दुरस्त किया जावे।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीनू [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner